न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारीः उज्ज्वल राठौड़, I.A.S.

UCMS NO. – 2014/00081
प्रकरण संख्या – 6/2014 (आवन्टन निरस्तीकरण)

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, लाडपुरा जिला कोटा।
--प्रार्थी.

बनाम

गंगा पुत्र देवा भील निवासी दीपपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा
--अप्रार्थी.

प्रार्थना पत्र आवंटन नियम 1970के नियम 14(4) के अन्तर्गत सपठित मीडियम माइनर आवंटन नियम 1968 के तहत आवंटन निरस्तीकरण

उपस्थित–

तहसीलदार लाडपुरा, पेरोकार सरकार

निर्णय

दिनांक –10/11/2020

1. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी तहसीलदार, लाडपुरा (भूमिधारी) ने एक प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया है कि अप्रार्थी श्री गंगा पुत्र देवा भील निवासी दीपपुरा को ग्राम अरल्या के खसरा नम्बर 144 की रकबा 5 बीघा, जिसके नये खसरा नम्बर 78 रकबा 0.80 है0 को ग्राम अरल्या में दिनांक 31.12.1978 को आवंटन हुई थी । किन्तु आवंटी द्वारा आवंटित भूमि पर नियमानुसार कब्जा काशत नहीं कर दिनांक 13.7.1981 को ही जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र लटूर पुत्र जगन्नाथ मीणा निवासी बालापुरा को बैचान कर दी गई है । तथा मौके पर कब्जा भी लटूर पुत्र जगन्नाथ मीणा का ही चला आ रहा है । आवंटी का कब्जा नहीं है । इस प्रकार आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना में आवंटित भूमि पर कब्जा काशत नहीं करने एवं अन्य को बेचान करने से आवंटन सम्बन्धी शर्तो का उल्लंघन किया है । अतः अप्रार्थी को किया गया आवंटन निरस्त फरमावें ।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया । अप्रार्थी को जारी नोटिस बाद तामिल प्राप्त किन्तु आवंटी बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहा है । अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । अप्रार्थी बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से प्रकरण में गुणावगुण के आधार पर निस्तारण हेतु पेरोकार सरकार की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।
3. पेरोकार सरकार द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को ही दौहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी गंगा पुत्र देवा भील निवासी दीपपुरा को ग्राम अरल्या खसरा नम्बर 144 की रकबा 5 बीघा, जिसके नये खसरा नम्बर 78 रकबा 0.80

जिला कलेक्टर
कोटा

हे0 को ग्राम अरल्या में दिनांक 31.12.1978 को आवंटन हुई थी । किन्तु आवंटी द्वारा आवंटित भूमि पर नियमानुसार कब्जा काश्त नहीं कर दिनांक 13.7.1981 को ही जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र लटूर पुत्र जगन्नाथ मीणा निवासी बालापुरा को बैचान कर दी गई है जिसका अप्रार्थी को कोई अधिकार नही था तथा मौके पर कब्जा भी लटूर पुत्र जगन्नाथ मीणा का ही चला आ रहा है । आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो का उल्लंघन किया जाने से आवंटन निरस्त योग्य होने से निरस्त किया जावें ।

4. हमने पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया । चूंकि अप्रार्थी को कई बार नोटिस जारी किये गये जो उसके घरवालों को तामिल हुए तथा मकान पर भी चस्पा किया गया फिर भी बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहा है । ऐसी स्थिति में पेरोकार सरकार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अनुसार आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो का उल्लंघन करते हुए गैर खातेदारी के दौरान ही आवंटित भूमि अन्य व्यक्ति को बेचान करना विधि विरूद्व होकर आवंटन शर्तो का स्पष्ट उल्लंघन है तथा आवंटित भूमि पर आवंटी का कब्जा भी नहीं होकर अन्य व्यक्ति का कब्जा है । ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाते है तथा आवंटी को किया गया आवंटन निरस्त किया जाना उचित समझते है ।
5. परिणामतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है । ग्राम अरल्या तहसील लाडपुरा की भूमि खसरा नम्बर 144 की रकबा 5 बीघा, जिसके नये खसरा नम्बर 78 रकबा 0.80 हे0 का दिनांक 31.12.1978 को गंगा पुत्र देवा भील निवासी दीपपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा के हक में किया गया आवंटन आदेश निरस्त किया जाता है । तहसीलदार लाडपुरा आवंटन निरस्तीकरण आदेश का राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करें एवं राजहित मे उक्त भूमि का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त कर पालना सुनिश्चित करें । निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि तहसीलदार लाडपुरा को भेजी जावे ।
6. निर्णय आज दिनांक 10.11.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(उज्ज्वल राठौड़)
जिला कलक्टर
कोटा

जिला कलेक्टर
कोटा